न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 154/2019 (2019/00193)

1. मुकेश कुमार पुत्र श्री रतनलाल जाति मीणा निवासी नारिरदा तहसील देवली जिला टोंक।
2. मनोज कुमार पुत्र श्री रतनलाल जाति मीणा निवासी नारिरदा तहसील देवली जिला टोंक।

---वादीगण

♠ बनाम ♠

1. भंवरलाल उर्फ भूरा पुत्र श्रवण जाति मीणा उम्र बालिक निवासी जीतापुरा पोस्ट गिरवरपुरा तहसील सावर जिला टोंक।
2. प्रभु पुत्र श्रवण जाति मीणा उम्र बालिग निवासी जीतापुरा पोस्ट गिरवरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।
3. सरमा पुत्री प्रभु जाति मीणा उम्र बालिग निवासी जीतापुरा पोस्ट गिरवरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।
4. माना पुत्री प्रभु जाति मीणा उम्र बालिग निवासी जीतापुरा पोस्ट गिरवरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।
5. कैलाशी पत्नी प्रभु जाति मीणा उम्र बालिग निवासी जीतापुरा पोस्ट गिरवरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।
6. कमला पत्नी भंवरलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी जीतापुरा पोस्ट गिरवरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।

--- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

-:: निर्णय ::-

दिनांक 20.5.2022

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है वादी नं. 1 की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी खाता संख्या 118 खसरा नम्बर 1056/419 रकबा 1.40है. कुल किता 1 कुल रकबा 1.40है एवं इसी प्रकार वादी नं. 2 की खातेदारी व कब्जे– काश्त की आराजी खाता संख्या 122 खसरा नम्बर 1098/419 रकबा 0.50 है. कुल किता 1 कुल रकबा 0.50 है. वाके तनग्राम जीतापुरा पटवार हल्का जीतापुरा तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। वादीगण की वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण अपने धनबल, ताकत एवं राजनैतिक प्रभाव का बेझा इस्तेमाल कर व वादीगण राजकीय कर्मचारी होने व अन्य ग्राम में निवास करने का नाजायज लाभ उठाकर गिरोहबंद होकर जबरन कब्जा करने की नियत से वादीगण को उनकी खातेदारी की उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करना चाहते है। जबकि वादीगण की वाद वर्णित भूमि अथवा उसके किसी भी भू–भाग से प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना नहीं है। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की भूमि पर कब्जा करने हेतु वादीगण के कब्जे – काश्त व उपयोग– उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है। जिसका कि प्रतिवादी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। हाल ही में वादीगण आगे की फसल काश्त करने मौके पर गये तो प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि में घुसने नही दिया और जबरन वादीगण की भूमि में हंकाई कर कब्जा करने पर उतारू हो गये। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। के प्रतिवादीगण के द्वारा किये जा रहे उक्त कृत्य प्रयास के लिए प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी के माध्यम से वादीगण की वाद वर्णित भूमि अथवा उसके किसी भी भू–भाग में वादीगण के कब्जे–काश्त व उपयोगदृउपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे, वादीगण को हंकाई, जुताई, फसल काश्त करने, फसल कटाई में बाधा उत्पन्न नहीं करे ना करावे तथा पाबंद रहे । यदि प्रतिवादीगण को उक्तानुसार पाबंद नहीं किया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं होगा। वाद कारण दिनांक 01.07.2019 को तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण वाद व वर्णित भूमि हांकने–जोतने हेतु मौके पर गये तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को हांकने–जोतने नहीं दिया और वादीगण के साथ लड़ाई–झगड़ा करने जबरन कब्जा करने की नियत से हंकाई करने पर आमादा होने से उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है । वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बावत् स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे वे वादी नं. 1 की खातेदारी व कब्जे– काश्त की आराजी खाता संख्या 118 खसरा नम्बर 1056/419 रकबा 1.40है. कुल किता 1 कुल रकबा 1.40 है एवं इसी प्रकार वादी नं. 2 की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी खाता संख्या 122 खसरा नम्बर 1098/419 रकबा 0.50है. कुल किता 1 कुल रकबा 0.50 है. वाके तनग्राम जीतापुरा पटवार हल्का जीतापुरा तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है, वे स्वयं जरि[illegible] [illegible]सी के माध्यम से वादीगण की वाद वर्णित भूमि अथवा उसके किसी भी भू–भाग में वादीगण के कब्जे–[illegible]पयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे वादीगण को हंकाई, जुताई, फसल काश्त करने, फ[illegible] [illegible]निवेदन वादीगण द्वारा किया गया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का [illegible] जाकर प्रतिवादीगण को [illegible]मन तलब किया । प्रतिवादीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद [illegible]ब पेश नही किया प्रतिवा[illegible] के खिलाफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.26 14:57:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाकर जवाब बंद किया गया। पत्रावली शहादत बादी में वादी की ओर से गवाह मुकेश कुमार व गवाह–2 रामधन के बयान लिये गये व शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादीगण की जिरह शून्य होने से शहादत वादी बंद कि गई।

अतः पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान व दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पूर्व में जवाब पेश नही प्रतिवादीगण की ओर से एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा डिग्री वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे वे वादी नं. 1 की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी खाता संख्या 118 खसरा नम्बर 1056/419 रकबा 1.40है. कुल किता 1 कुल रकबा 1.40 हैक्टर एवं इसी प्रकार वादी नं. 2 की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी खाता संख्या 122 खसरा नम्बर 1098/419 रकबा 0.50है. कुल किता 1 कुल रकबा 0.50 है. वाके ग्राम जीतापुरा पटवार हल्का जीतापुरा तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान की आराजीयात पर, वादीगण के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे वादीगण को हंकाई, जुताई, फसल काश्त करने, फसल कटाई में बाधा उत्पन्न नही करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है इस आश्य का डिकी पर्चा जारी किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.26 14:57:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner